209/2014 निर्णित दि० 30.9.19

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार बनाम श्री ओमप्रकाश पु० रुघाराम जाति [illegible] नि. कपूरीसर

किस्म मुकदमा – ~~आरसीए 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 09/2019 वर्ष 2019 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तामील
10/10/19	पटवारी हल्का कपूरीसर की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक कपूरीसर के खसरा नं./मु.नं.मै. 51 तादादी 2.10 हैक्टेयर बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2076 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर, हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/10/19 को पेश हो। [signature] तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर	कराया-2
30.9.19	आज यह पत्रावली पेश होकर नि०रि० पर्चा के से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ है, दाखिल दफ्तर हो। [signature] तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल न. :– 09 /2019 दिनांक :– 30.09.19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कपूरीसर ने रिपोर्ट (पी – 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री खुमाणाराम जाति कुम्हार साकिन कपूरीसर ने ग्राम कपूरीसर के ख.न. 51 रकबा 2.10 हैं. में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री खुमाणाराम जाति कुम्हार साकिन कपूरीसर को ग्राम कपूरीसर के ख.न. 51 रकबा 2.10 हैं. में अतिचार करने पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोपित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 1=00 का 50 गुणा रुपये 105=00 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बावत् टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-09-19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

Scanned by CamScanner